

संकल्प

विषय : संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि०, दिनांक 26.11.2011 द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति में निम्न रूप से मासिक संविदा राशि एवं अन्य सुविधाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था :-

- (क) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक मानदेय की राशि अनुमान्य होगा।
- (ख) उक्त नियत मानदेय राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर लागू महँगाई भत्ता देय होगा, किन्तु वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी, जिन्हें सरकार द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाता है और वे सरकार द्वारा आवंटित आवास में नहीं रहते हैं, तो उन्हें वर्गीकृत शहर के अनुसार नियत मासिक मानदेय पर आवास किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

2. महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षक दल द्वारा कोषागार कार्यालय के संदर्भ में समर्पित अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 01/2013-14 के पारा संख्या 1(iv) में निम्न आपत्ति दर्ज की गयी है :-

"In course of scrutiny of Gazetted Salary Register in Project Bhawan Treasury, it is found that full Dearness Allowance on Basic Pay has been allowed in some cases without obtaining certificate of non drawls of Dearness Relief on his pension as mentined under rule".

3. महालेखाकार कार्यालय की आपत्ति एवं वित्त विभाग के पत्रांक 3556 दिनांक 05.09.1991 को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि० दिनांक 26.11.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया था कि- "पेंशनरों के पुनर्नियोजन के मामले में, चाहे वह संविदा पर नियत वेतन/मानदेय पर हो या नियमित वेतनमान पर हो, पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। विभागों/निगमों/प्राधिकारों/सोसाइटियाँ द्वारा पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में नियत मानदेय/वेतन की राशि इस प्रकार निर्धारित की जायेगी ताकि पुनर्नियोजन की अवधि में नियत वेतन और पेंशन की कुल रकम उस रकम से अधिक न हो, जो उसे सेवानिवृत्ति के ठीक पहले वेतन के रूप में कुल परिलब्धि (Total Emoluments) प्राप्त हो"।

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 के अनुसार पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन पर प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में महँगाई राहत में वृद्धि होने के फलस्वरूप पेंशनरों के पुनर्नियोजन की स्थिति में उन्हें देय मानदेय की राशि में भी तदनुसार क्रमशः ह्रास हो रहा था। फलतः उक्त संकल्प के प्रावधानों में संशोधन हेतु कतिपय अभ्यावेदन आने प्रारम्भ हो गये। उक्त स्थिति में वित्त विभागीय संकल्प 1243/वि०, दिनांक 28.04.2016 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में नियत मानदेय/पारिश्रमिक (Fixed Honorarium) एवं अन्य लाभों का निर्धारण निम्नवत किया गया है :-

Sr.No.	Pay Band & Pay Scale at the time of retirement	GP	Fixed Honorarium per Month
1.	PB-I, 5200-20200	1800 1900 2000 2400 2800	Rs.20000
2.	PB-II 9300-34800	4200 4600 4800 5400	Rs.25000
3.	PB-III 15600-39100	5400 6600 7600	Rs.35000
4.	PB-IV 37400-67000	8700 8900 10000	Rs.45000
5.	HAG 67000-79000		Rs.55000
6.	Apex Scale = 80000(Fixed)		Rs.65000

5. वित्त विभागीय संकल्प 217/वि०, दिनांक 18.01.2017 द्वारा राज्य कर्मियों को तथा संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनभोगी को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय संकल्प 1243/वि० दिनांक 28.04.2016 द्वारा अलग-अलग वेतनमान के पदों में संविदा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में एक ही नियत मानदेय/पारिश्रमिक (Fixed Honorarium) का निर्धारण न्यायोचित नहीं है। साथ ही राज्य सरकार के पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनभोगी को अनुमान्य किए गए सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में संविदा के आधार नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक को भी संशोधित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

7. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2452/वि०, दिनांक 26.11.2011, महालेखाकार कार्यालय की आपत्ति एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3828/वि० दिनांक 13.11.2014 के दृष्टिपथ में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा के आधार पर नियत वेतन/मानदेय या नियमित वेतनमान पर पुनर्नियुक्त होने की स्थिति में नियत मानदेय/वेतन (Fixed Pay) का निर्धारण निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया है :-

- (क) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन घटाव मूल पेंशन की राशि के समतुल्य नियत मासिक मानदेय/वेतन (Fixed Pay) की राशि अनुमान्य होगी।
- (ख) उक्त नियत मानदेय/वेतन (Fixed Pay) की राशि पर महँगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।
- (घ) अनुमान्यता के आधार पर आवास किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 के अनुसार ही अनुमान्य होंगे।

8. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.11.2016 के मद संख्या 17 में लिए गए निर्णय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक 1510 दिनांक 29.11.2016 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 की कंडिका-11 को निम्नवत् आंशिक संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

“अपवादित परिस्थिति में 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्त कर्मी अथवा तीन वर्ष से अधिक समय के लिए संविदा पर कार्य कर चुके सेवानिवृत्त किसी कर्मी को सेवा में रखना अपरिहार्य हो, तो वैसी स्थिति में संबंधित कर्मी के मामले में वित्त विभाग की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी।”

9. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 के अन्य प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

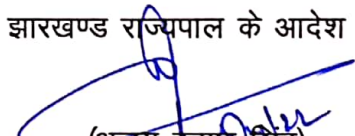
10. संशोधित नियत मानदेय/वेतन (Fixed Pay) की व्यवस्था दिनांक 01.02.2022 से प्रभावी होगी।

11. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 801/वि० दिनांक 25.03.2022 के क्रम में दिनांक 30.03.2022 की बैठक के मद सं० 37 में दी गई है।

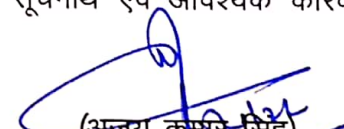
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

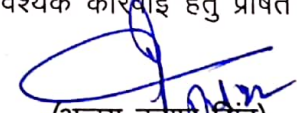
ज्ञापांक: 6/एस-5 (भता)-03/2011-928/वि०/

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

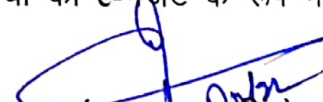
ज्ञापांक: 6/एस-5 (भता)-03/2011-928/वि०/

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/अवर सचिव (पी०एम०यू० कोषांग) वित्त विभाग को विभागीय Website पर upload कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक: 6/एस-5 (भता)-03/2011-928/वि०/

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।


(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।